

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-27/2025

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-3573 दिनांक 07.09.2026 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में श्री आलोक झा, (आई0डी0-जे0 12266), कनीय अभियंता (असैनिक), गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना का स्वयं के विवाह निमित्त दिनांक 22.06.2026 से 09.07.2026 तक कुल-18 (अठारह) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

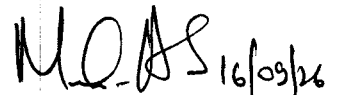
ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक-3573 दिनांक 07.09.2026 के प्रसंग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना / श्री आलोक झा, (आई0डी0-जे0 12266), कनीय अभियंता (असैनिक), गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 5500 पटना, दिनांक - 21/9/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।